उत्तर प्रदेश शासन
नगर विकास अनुभाग–1
संख्या– 214 /9–1–2016–96सा/13टीसी
लखनऊः दिनांक 21 जनवरी, 2016

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2, सन् 1916) की धारा–9 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके श्री राज्यपाल नगर पंचायत, रामकोला जनपद कुशीनगर में श्री राजेश्वर गोविन्द राव पुत्र श्री विश्राम गोविन्द राव, वार्ड–9, मॉ काली मन्दिर रामकोला, कुशीनगर को नाम निर्दिष्ट सदस्य के रूप में नामित करते हैं।

2. उक्त आदेश विशेष अनुज्ञा याचिका (सिविल) संख्याः 34436/11 तथा 18362/2012 में मा0 उच्चतम न्यायालय में अंतिम निर्णय के अधीन होगा।

आज्ञा से,

श्रीप्रकाश सिंह
सचिव।

संख्या– 214 (1)/9–1–2016 तद्दिनांक

प्रतिलिपि संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय एवं लेखन सामग्री, ऐशबाग, उ0प्र0 लखनऊ को इस अनुरोध सहित प्रेषित कि कृपया इस अधिसूचना को उ0प्र0 असाधारण गजट विधायी परिशिष्ट के भाग–4 खण्ड (ख) में दिनांक 21 जनवरी, 2016 को प्रकाशित कराकर उसकी 20 मुद्रित प्रतियां नगर विकास अनुभाग–1, बापू भवन, सातवां तल लखनऊ को कृपया उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

सुधीर सिंह चौहान
संयुक्त सचिव।

संख्या– 214 (2)/9–1–2016 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, उ0प्र0, लखनऊ।
2. आयुक्त, गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर।
3. निदेशक, स्थानीय निकाय, उ0प्र0 लखनऊ।
4. **स्पीड पोस्ट** –जिलाधिकारी, कुशीनगर ।
5. अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत, रामकोला, कुशीनगर।**(द्वारा जिलाधिकारी)**
6. श्री राजेश्वर गोविन्द राव पुत्र श्री विश्राम गोविन्द राव, वार्ड–9, मॉ काली मन्दिर रामकोला, कुशीनगर।**(द्वारा जिलाधिकारी)**
7. वेबमास्टर, नगर विकास विभाग को इस आशय से प्रेषित कि कृपया इसे विभागीय साइट पर अपलोड किया जाना एवं समस्त संबंधित को ई–मेल किया जाना सुनिश्चित करें।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(बिहारी लाल काने)
अनु सचिव।

ELG